।। कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांक 3339 /यात्रा व्यवस्था/विज्ञप्ति/2015–16 दिनॉक 17 मार्च, 2015

विज्ञप्ति

दिनांक 24 अप्रैल, 2015 से दिनांक 13 नवम्बर, 2015 तक जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अवस्थित श्री केदारनाथ धाम यात्रा का संचालन होना है। स्थान सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग में अवस्थित **लिनचोली, छानी कैम्प नामक स्थान** में श्रद्धालुओं, पैकेज टूर ग्रुप्स, को ठहराने एवं खाने–पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से **टेन्ट कम किचन सुविधा** उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन रूद्रप्रयाग द्वारा इच्छुक **प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/जनपद रूद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित उद्यमियों से** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। **आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल सहित दिनांक 01 अप्रैल 2015 को सांय 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक जो जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी रूद्रप्रयाग,कलक्ट्रेट रूद्रप्रयाग को सम्बोधित हो अथवा निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्यालय दिवस व समय में उक्त कार्यालय में By hand जमा कराये जा सकते हैं।** निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा–

(1) जनपद रूद्रप्रयाग के टूर आपरेटर्स/आपदा प्रभावित उद्यमी आवेदकों हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत जनपद रूद्रप्रयाग का स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा आपदा प्रभावित प्रमाण पत्र।

(2) उत्तराखण्ड राज्य के अन्य जनपदों के टूर आपरेटरर्स/उद्यमियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ टूर आपरेटर्स/उद्यमी/संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा न्यूनतम 02 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र।

आवदेन पत्र लिफाफे के ऊपर दांयीं तरफ "टेन्ट कम किचन सुविधा के लिए आवेदन" लिखना आवश्यक होगा।

श्रद्धालुओं को ठहरने एवं खाने–पीने की सुविधा हेतु टेन्ट कम किचन सुविधा के संचालन हेतु **नियम एवं शर्तें** निम्न प्रकार हैः–

1. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों द्वारा उत्कृष्ट क्वालिटी के उच्च स्थानों (High Atitude) में उपयोग किये जाने वाले ताप अवरोधी (Temperature control) नये टेन्ट स्थापित किये जाने होंगे, जिसमें रूकने वाले श्रद्धालुओं को स्लीपिंग बैग, रजाई, कम्बल इत्यादि सुविधाओं को सम्बन्धित ऑपरेटर्स द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
2. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों द्वारा अपने टेन्टों की क्षमता के अनुरूप **हाइजैनिक शौचालय** की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी एवं साफ–सफाई की व्यवस्था का इंतजाम स्वयं करना होगा।
3. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को **टेन्टों की व्यवस्था के साथ किचन शेड/टेन्ट सुविधा** भी स्थापित करनी होगी, जहॉ पर अपने अतिथियों/श्रदालुओं को स्वयं के संसाधनों के आधार पर खाने–पीने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

4. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों को **कूड़ा निस्तारण हेतु गारबेज पिटों को निर्मित कराया जाना** अनिवार्य होगा। जैविक कूड़े को गारबेज पिटों में डालकर निस्तारित किया जायेगा तथा अजैविक (Plastic waste) को बोरों में पैक कर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सफाई एजैन्सी/संस्था के कर्मियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों द्वारा टैन्ट, हाउसिंग के साथ स्थापित किये जाने वाले किचन में तैयार किये जाने वाले भोजन का निरीक्षण समय–समय पर प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी से कराया जायेगा।
6. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों को सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। जैसे– अग्निशमन यंत्र की स्थापना, फर्स्ट एड किट तथा आक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था आदि।
7. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स /उद्यमियों के द्वारा टेन्ट स्थापित किये जाने वाले स्थान तक अपना सामान व समस्त सामग्री स्वयं के संसाधनों से ले जाना होगा।
8. सम्बन्धित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स /उद्यमियों को अपने टेन्ट स्थापित करने हेतु अस्थाई रूप से **भूमि उपयोग की अनुमति एक बार में अधिकतम 03 वर्ष के लिए दी जायेगी।** संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में ही प्रशासन की आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ायी जा सकती है।
9. यात्रा सीजन के अन्त में सम्बन्धित आपरेटर्स को अपनी समस्त सामग्री को वहॉ से उठाना होगा, यदि सम्बन्धित आपरेटर्स अपनी सामग्री को अगले सीजन के प्रयोग हेतु मौके पर ही संग्रह करने का इच्छुक हो तो उसे स्वयं के रिस्क पर प्रशासन द्वारा सरकारी कॉटेज/हट्स में सामग्री रखने हेतु कतिपय स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।
10. प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों के चयन में अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।
11. रूद्रप्रयाग जनपद के ऐसे इच्छुक पात्र प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जो कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पूर्व में श्रद्धालुओं को बोर्डिंग/लॉजिंग करने की सुविधा प्रदान करते थे।
12. एक ऑपरेटर्स को 04 से 06 व्यक्तियों के प्रवास की क्षमता वाले अधिकतम 10 टेन्ट (छोटे टेन्ट होने की स्थिति में उसी अनुपात में 10 से अधिक टेन्टों की संख्या बढायी जा सकती है) लगाने के लिए मानकानुसार स्थान आवंटित किया जायेगा।
13. **दिनांक 04 अप्रैल 2015 को प्रातः 11.00 बजे जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण** उपस्थित सम्बन्धित ऑपरेटर्स/उद्यमी अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख किया जायेगा, **जिनके द्वारा अपनी कार्ययोजना (Detail project proposal)समिति के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी तथा टेन्ट,किचन,शौचालय में प्रयोग की जानी वाली सामग्री के नमूने का प्रदर्शन करना होगा।**
14. चयनित प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स/उद्यमियों को राजस्व टीम द्वारा 15 अप्रैल 2015 को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स /उद्यमियों की उपस्थिति में मौके पर जाकर भूमि चिन्हित कर आवंटित की जायेगी।

15. **समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त सर्वाधिक पात्र 10 ऑपरेटर्स को कार्य करने की संस्तुति की जायेगी।** जिनमें से न्यूनतम तीन स्थान अन्य जनपदों से प्राप्त आवेदनों हेतु आरक्षित रखे जायेंगें।
16. चयन की तिथि से एक सप्ताह अन्तर्गत चयनित आपरेटर्स/उद्यमी को रूपये 10,000.00(दस हजार) प्रति सीजन शुल्क प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही सम्बन्धित द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र व समस्त उल्लिखित शर्तो का पालन करने विषयक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. सम्बन्धित टूर ऑपरेटर्स/उद्यमी द्वारा उक्तानुसार अपने टूर ग्रुप्स/श्रद्धालुओं हेतु समस्त व्यवस्थायें स्वयं के संसाधनों से की जायेगी। अपने जजमानों हेतु लॉजिंग एवं फूडिंग की दरें उनके द्वारा स्वयं निर्धारित की जायेगी। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन द्वारा लॉजिंग एवं फूडिंग की दरों को नियंत्रित किया जा सकता है।
18. चयनित ऑपरेटर्स को **विलम्बतम 15 मई से पहले उक्त स्थान पर अपना सेटअप स्थापित करना होगा** तथा इस आशयं का प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ/सैक्टर मजिस्ट्रेट,यात्रा पड़ाव लिनचोली से प्राप्त करना होगा। भूमि का सदुपयोग न किये जाने की स्थिति में तत्काल निर्गत भूमि प्रयोजन परमिट निरस्त कर लिया जायेगा।
19. शर्तों का पालन न होने की स्थिति में जिलाधिकारी को सम्बन्धित ऑपरेटर्स को प्रदत्त अनुमति निरस्त करने का अधिकार होगा।

ह0/–
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।